2023 का विधेयक सं. 5

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2019 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम सं. 14), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 2019 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम सं. 14) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रवर्तन के लिए कतिपय अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि इन उद्यमों की तीव्र वृद्धि और स्थापना को सुकर बनाया जा सके। उक्त अधिनियम की धारा 6 उपबंध करती है कि उद्यमों को अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी करने पर, इसे इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुमोदन समझा जायेगा और तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, उद्यम को अपेक्षित अनुमोदनों को अभिप्राप्त करना होगा। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 7 यह उपबंध करती है कि जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त है वहां सरकार या, यथास्थिति, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

यह सर्वविदित है कि 2019 के अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात्, संपूर्ण देश में महामारी अर्थात् कोविड-19 का प्रकोप हो गया था। भिन्न-भिन्न उत्पादक चैनल बंद हो गये और अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी हो गई थी। अधिनियम में उपबंधित छूटों के होते हुए भी सीमित संख्या में विनिधानकर्ताओं ने राज्य में किसी भी प्रकार के उद्यमों की स्थापना की पहल की है।

इसलिए, अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और विनिधानकर्ताओं को, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए जो कार्यस्थल पर कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कारण उद्यम स्थापित नहीं कर सके, अग्रसर करने के क्रम में, राज्य सरकार ने विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट

की कालावधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किये जाने का विनिश्चय किया है।

इसलिए, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 को तदनुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

शकुन्तला रावत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) विधेयक, 2019 से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX

6. अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र का प्रभाव.- (1) धारा 5 के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, सभी प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए, धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित कोई अनुमोदन हो और तीन वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, उस उद्यम को ऐसी समाप्ति की तारीख से छह मास के भीतर-भीतर धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त करने होंगे:

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र, किसी व्यक्ति को मास्टर योजना, जहां कहीं भी ऐसी योजना प्रवृत्त है, में विनिर्दिष्ट भूमि-उपयोग से भिन्न किसी भूमि-उपयोग का हकदार नहीं बनायेगा। यह किसी व्यक्ति को राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 16 में यथाविनिर्दिष्ट निर्बंधित प्रवर्ग अर्थात् चरागाह भूमि, जलाशय आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करने का भी हकदार नहीं बनायेगा।

(2) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान, कोई भी सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ख) में यथापरिभाषित किसी अनुमोदन के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

XX XX XX XX XX XX XX

7. छूट.- जहां सरकार या उसके अधीन कोई प्राधिकारी, किसी उद्यम को किसी भी अनुमोदन या निरीक्षण या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए

सशक्त है वहां सरकार या, यथास्थिति, ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी उद्यम को, धारा 5 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के लिए, ऐसी छूट देने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 5 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 14 of 2019.- In section 6 of the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No. 14 of 2019), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "period of three years", wherever occurring, the expression "period of five years" shall be substituted.

3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 14 of 2019.- In section 7 of the principal Act, for the existing expression "period of three years", the expression "period of five years" shall be substituted.

_____

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No. 14 of 2019) was enacted to provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of micro, small and medium enterprises in order to facilitate rapid growth and establishment of these enterprises. Section 6 of the said Act provides that on issuance of an Acknowledgment Certificate to the enterprises, it will be considered as an approval for a period of three years from its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise will have to obtain required approvals. Similarly, section 7 of the Act provides that where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate.

It is well-known that after the enactment of the Act of 2019, there was outbreak of pandemic i.e. Covid-19 in the whole of the country. The different production channels got shutdown and the growth of the economy slowed down. Limited number of investors initiated to establish any sort of enterprises in the State inspite of exemptions provided in the Act.

So, in order to accelerate economy and promote the investors including those who couldn't establish an enterprise due to adverse impact of Covid-19 on workplace, the State Government has decided to extend the period of exemption for getting various approval from three years to five years.

So, sections 6 and 7 of the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 are proposed to be amended accordingly.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

शकुन्तला रावत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2019

(Act No. 14 of 2019)

XX XX XX XX XX XX

6. Effect of the Acknowledgement Certificate.- (1) An Acknowledgment Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval as defined in clause (b) of section 2, for a period of three years from the date of its issuance and after the expiry of the said period of three years, the enterprise shall have to obtain required approvals as defined in clause (b) of section 2 within six months from the date of such expiry:

Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force. It shall also not entitle a person to use the land falling in restricted category namely pasture land, water body, etc. as specified in section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No.3 of 1955).

(2) During the period of three years specified in sub-section (1), no competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval as defined in clause (b) of section 2.

7. Exemption.- Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprises from any approval or inspection or any provisions relating thereto under any Central Act, the Government or, as the case may be, any such authority shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issue of the Acknowledgement Certificate under section 5.

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 5 of 2023

THE RAJASTHAN MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (FACILITATION OF ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Shakuntala Rawat, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 5

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम, 2019 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(शकुन्तला रावत, **प्रभारी मंत्री)**